



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03072026-273978
CG-DL-W-03072026-273978

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20]	नई दिल्ली, जून 14—जून 20, 2026, शनिवार/ज्येष्ठ 24—ज्येष्ठ 30, 1948
No. 20]	NEW DELHI, JUNE 14—JUNE 20, 2026, SATURDAY/JYAISHTHA 24—JYAISHTHA 30, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

मंत्रिमंडल सचिवालय
(राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता)

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध तकनीकी अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, तकनीकी अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी अधिकारी	*04 (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-1,51,100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा। (11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधिकारी,- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात दिए गए ग्रेड में दो वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हों: आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायन विज्ञान या औद्योगिक रासायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक प्रौद्योगिकी या रासायनिक इंजीनियरी में स्नातक डिग्री(बी.ई/बी.टेक) ; और (ii) कार्बनिक रासायन और कार्बनिक रासायन उद्योग के क्षेत्र में लगे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या औद्योगिक समुत्थान में तकनीकी पद पर दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 53 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/2017-एन ए]

इंद्रा मालो, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT**(National Authority Chemical Weapons Convention)**

New Delhi, the 2nd June, 2026

G.S.R. 108.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and 'B' Posts), Recruitment Rules, 2004, in so far as they related to the post of Technical Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer in the National Authority Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat, namely:-

- 1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Cabinet Secretariat, National Authority Chemical Weapons Convention, Technical Officer (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix.** - The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** - No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
- shall be eligible for appointment to the said post:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Section, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in that regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Officer.	*04 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories Administrations or recognised Universities or public sector undertakings or recognised	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

research institutions or autonomous bodies or statutory organisations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level - 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: ESSENTIAL: (i) Master's degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Bachelors degree (B.E/B.Tech) in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or institute; and (ii) two years' experience in a technical position in a technical or research organisation or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.		
--	--	--

[F. No. A-12018/1/2017-NA]

INDRA MALLO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बचत संगठन (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1978 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक (वरिष्ठ) और आशुलिपिक (कनिष्ठ) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय बचत संस्थान, दिल्ली, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राष्ट्रीय बचत संस्थान, आशुलिपिक (ग्रेड-1) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता- वह व्यक्ति,-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक (ग्रेड-I)	2 *(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', गैर-राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400- 112400 रु.)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति/आमेलन: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किए हुए हैं; या	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की है। (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं, अर्थात:- (i) जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं; (ii) अंग्रेजी या हिन्दी में श्रुतलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं। टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. 2/042004-एनएस-1]

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 11th June, 2026

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Savings Organisation (Group ‘C’ and Group ‘D’ Posts) Recruitment Rules, 1978, in so far as they relate to the post of Stenographer (Senior) and Stenographer (Junior), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer in the National Savings Institute, Delhi, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, namely :-

- Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, National Savings Institute, Stenographer Grade-I (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix .-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, educational qualifications etc .-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** - No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade-I	2 *(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Ministerial.	Level -6 in the pay matrix (Rs 35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation/absorption.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: Officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following educational qualifications, namely :- (i) 12 th class pass from a recognised board; and (ii) speed of 100 words per minute in dictation in English or Hindi.	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No. 2/042004-NS-1]

VYASAN R., Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

सा.का.नि. 110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, जैव चिकित्सा अभियंता, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2016 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में जैव चिकित्सा अभियंता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, जैव-चिकित्सा अभियंता, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति -इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जैव चिकित्सा अभियंता	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनशील	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	पुनर्नियोजन पर नियुक्त अधिकारियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेलन। (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेलन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ-राज्यक्षेत्रों या लोक उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी, - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (रु.56100-177500) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: आवश्यक: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि, निम्नलिखित में से किसी एक विषय में: इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरी अथवा इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरी अथवा जैव चिकित्सा अभियंत्रण अथवा विद्युत इंजीनियरी अथवा यांत्रिकी इंजीनियरी अथवा मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरी। (2) वैक्सीन विनिर्माण इकाई या सीजीएमपी (वर्तमान

		उत्तम विनिर्माण प्रथाएँ) विनिर्माण सुविधाओं या भेषज उद्योगों में औद्योगिक मशीनरी अथवा प्रक्रिया उपकरण अथवा एचवीएसी (तापन, वायु संचारण एवं वातानुकूलन) प्रणाली अथवा स्वच्छ कक्ष (क्लीन रूम) अथवा जल उपयोगिता प्रणाली की निगरानी, मरम्मत और अनुरक्षण में चार वर्ष का कार्यानुभव। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ-राज्यक्षेत्रों के अधिकारी आमेलन पर विचारण हेतु पात्र होंगे। टिप्पण 2: पात्रता की निर्णायक तारीख पर सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं, अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किए जाएंगे। यदि चयनित होते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तें दी जाएंगी, जब तक वे सशस्त्र बलों से विमुक्ति के पात्र हैं और उसके बाद उनकी नियुक्ति सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। सशस्त्र बलों के उन कार्मिकों के चयन की दशा में जो वास्तविक चयन से पहले या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक अथवा उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/02/2023 ईपीआई]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 11th June, 2026

G.S.R. 110.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Bio-Medical Engineer, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Bio-Medical Engineer, in the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Bio-Medical Engineer, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, and level in the pay matrix.** -The number of post, its classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age - limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bio-Medical Engineer.	1 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level-11 (67700-208700) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for officers appointed on re-employment.	Deputation (including short-term contract)/ Absorption (For Armed Forces Personnel: Deputation or Re-employment).	Deputation (including Short-Term Contract)/ Absorption (For Armed Forces Personnel: Deputation or Re-employment): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions or statutory or autonomous organisations, - (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay level-10 (Rs.56100-177500) of the pay matrix in the parent cadre or Department, and (B) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (1) Bachelor Degree in engineering or technology from a recognised university or Institute in any one of the following disciplines: Electronics and Instrumentation Engineering or Instrumentation Engineering or Bio-Medical Engineering or Electrical Engineering or Mechanical Engineering or Mechatronics Engineering. (2) Four years' working experience in monitoring, repair and maintenance of industrial machineries or process equipment's or HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) system or clean rooms or water utility system in Vaccine Manufacturing Unit or cGMP (Current Good Manufacturing Practices) Manufacturing Facilities or Pharmaceuticals Industries. Note 1: Officers of Central Government or State Government or Union territories shall be considered for absorption. Note 2: Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year as on the crucial date of eligibility and having the requisite experience and qualifications prescribed for deputation shall be considered along with other candidates. If selected, such officers shall be given deputation terms up to

			the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter the ir appointment will be on re-employment basis up to the age of superannuation with reference to civil posts. In case of Selecti on of Armed Forces Personnel who have e ither retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the p ost is made, their appointment will be on r e-employment basis up to the age of super annuation with reference to civil posts. Note 3: The period of deputation includin g the period of deputation in another ex-ca dre post held immediately preceding this a ppointment in the same or some other org anisation or department of the Central Go vernment shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appoin tment by deputation shall be not exceedin g fifty-six years as on the last date of recei pt of application.
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what i s its composition.	Circumstances in which Union Public Service Com mission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for con sidering confirmation) consisting of: - 1. Joint Secretary, Department of Health and Family Welf are – Chairman; 2. Additional Director General or Deputy Director Genera l, Directorate General of Health Services – Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate G eneral of Health Services – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/02/2023-EPI]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

सा.का.नि. 111.—सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) कीधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अधोसूचित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के अधिकारी होने के नाते, संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी उक्त तालिका के कॉलम (3) की तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा संपदा अधिकारी को दिए गए दायित्वों को पूरा करेंगे।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिकार-क्षेत्र की सीमाएं	अवधि
1	श्री सयाजीए.सालुंखे, प्रभारी प्रबंधक (संपदा)	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन के अधीन आने वाले सभी भूमि और परिसर	पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे सेवारत हैं, इनमें से जो भी पहले हो।

2. इस अधिसूचना के तहत नियुक्त 01 (एक) भू-सम्पदा अधिकारी सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) के तहत उपर्युक्त क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी भूमि एवं भवनों पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

उक्त नियुक्ति सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. ए-12011/4/2019-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS

(PHRD Division)

New Delhi, the 12th June, 2026

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoint the officer mentioned in Column (2) of the Table below, being officer of the Jawaharlal Nehru Port Authority to be the Estate Officer for the purpose of the said Act and the said Officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the "Estate Officer" by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdictions in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said table:

Sl. No.	Name & Designation of the Officer	Limits of Jurisdiction	Tenure
1	Sh. Sayaji A. Salunkhe, Manager (Estate) I/C	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Jawaharlal Nehru Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier

2. The Estate Officer appointed under this Notification will be able to exercise powers conferred under Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants Act, 1971, on all the lands and buildings covered by the above mouzas concurrently.

The said appointment shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/4/2019-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार ट्रैक्टर चालक-सह-मैकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले

किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म में चालक-सह-मैकेनिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार, चालक-सह-मैकेनिक(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता -** वह व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
चालक-सह-मैकेनिक।	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500/- -81,100/-रु.)।

चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
अचयन पद।	18 से 27 वर्ष के बीच की आयु (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) यान चलाने में पांच वर्ष के अनुभव के साथ टैक्टर चलाने और मोटर यान चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। (iii) डीज़ल और पेट्रोल से चलने वाले टैक्टर और यानों की पूर्ण मरम्मत और सामान्य रखरखाव में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की

		दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
आयु और शैक्षिक अर्हता-नहीं, किंतु टैक्टर और मोटर यान चलाने के लिए विधिमानी चालन अनुज्ञप्ति होना चाहिए है।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष। टिप्पण:- सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	100% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200/रु.) में ऐसे चालक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई किसी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- 1. विभाग में निदेशक या संयुक्त आयुक्त 2. विभाग में उप सचिव या उपायुक्त	लागू नहीं होता।

3. संबंधित प्रभाग के अवर सचिव या केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अवर सचिव की रैंक का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-	- सदस्य।
1. विभाग में निदेशक या संयुक्त आयुक्त	- अध्यक्ष;
2. विभाग में उप सचिव या उपायुक्त	- सदस्य;
3. संबंधित प्रभाग के अवर सचिव या केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अवर सचिव की रैंक का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी	- सदस्य।

[फा. सं. क्यू 11035/7/2023-प्रशासन-6]

अनामिका निगम, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department Of Animal Husbandry And Dairying)**

New Delhi, the 19th June, 2026

G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Fisheries, Department of Animal Husbandry and Dairying, Central Sheep Breeding Farm, Hisar Tractor Driver-cum-Mechanic (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Driver-cum-Mechanic in the Central Sheep Breeding Farm, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely: -

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Central Sheep Breeding Farm, Hisar, Driver-cum-Mechanic (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

- Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Driver-cum-Mechanic.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (i) 12th class pass from a recognised board; (ii) Possessing a valid driving licence for driving tractor and motor vehicles with five years experience in driving; (iii) Having at least two years experience in overhauling and general maintenance of tractors and vehicles, both diesel and petrol driven. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age and educational qualifications,- No, but should possess valid driving licence for driving tractors and motor vehicles.	Two years for direct recruits. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	100 per cent. by promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what its composition.
(11)	(12)
Promotion: Driver in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-) with eight years regular service in the grade. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service, or two	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director or Joint Commissioner in the Department – Chairperson; 2. Deputy Secretary or Deputy Commissioner in the Department – Member; and 3. Under Secretary of the concerned division or any other Gazetted Officer of the rank of Under Secretary of the Central Government office – Member.

years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director or Joint Commissioner, in the Department - Chairman; 2. Deputy Secretary or Deputy Commissioner in the Department - Member; 3. Under Secretary of the concerned division or any other Gazetted Officer of the rank of Under Secretary of the Central Government office - Member.
---	---

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Not applicable.

[F. No. Q-11035/7/2023-Admin-6]

ANAMIKA NIGAM, Under Secy.